

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / ००८० / २०२५ / ४८२/२६

रीवा, दिनांक १८/०२/२५

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २८ के अन्तर्गत जीवन विज्ञानसंकाय अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा २८(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :—

जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन मण्डल

अधिनियम २८(२) एक

१. रिक्त

२८(२) दो

१. डॉ. शशि सिंह
विभागाध्यक्ष,
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

२. डॉ. अभिलाषा श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष,
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी(म.प्र.)

२८(२) तीन

१. डॉ. अतुल कुमार तिवारी
उपाचार्य, विभागाध्यक्ष, जैवप्रौद्योगिकीविभाग,
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

२८(२) चार

१. रिक्त
२. रिक्त

२८(२) पाँच

१. डॉ. शैली मिश्र
राजीव गांधी कालेज सतना(म.प्र.)

२. डॉ. राहुल मिश्र
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

अधिनियम २८ (३) के अन्तर्गत डॉ. शशि सिंह को जैवप्रौद्योगिकी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

Shashi Singh
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

१. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
२. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
३. अध्ययन मण्डल के समस्तसदस्यगण।
४. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
५. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
६. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
७. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म0प्र0)
८. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निजसहायक

Shashi Singh
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)